

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 952/2014/जोधपुर
मैसर्स पी.एम. एण्टरप्राइजेज
जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त-सी, जोधपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री एम.एल.नेहरा, सदस्य

उपस्थित :

श्री पी.एम.चौपडा व श्री एस.के. आसोपा
अभिभाषक

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक 14.12.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी, जोधपुर प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 177/जेयूसी में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने अपील को निरस्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म के वर्ष 2009-10 की अवधि का कर निर्धारण एकतरफा पूर्व में दिनांक 29.03.2012 में पारित किया जाकर मांग कायम की गई। दिनांक 29.03.2012 को पारित आदेश के विरुद्ध उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, जोधपुर के समक्ष दिनांक 08.05.2012 को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 (1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही पारित आदेश को रीओपन करने का निवेदन किया गया। उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, जोधपुर ने सुनवाई के पश्चात दिनांक 06.06.2012 को वर्ष 2009-10 की अवधि का पुनः कर निर्धारण 60 दिवस की अवधि में सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी को वांछित वेट-10/10ए एवं देय कर की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। उक्त रीओपन आदेशों के एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना/प्रपत्र वेट 10/10ए प्रस्तुत नहीं किए गए और ना ही देय कर घोषित कर राजकोष में जमा करवाया गया। अतः पुनः एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.07.2012 पारित करते हुए कर रू. 23,35,572/- व शास्ति रू. 2,18,442/- तथा ब्याज रू. 10,69,420/- कुल रू. 36,23,434/- की मांग सृजित की गई। कर निर्धारण अधिकारी

द्वारा पारित आदेश मय मांग पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. के जरिए अपीलार्थी के स्थाई पते पर मुम्बई भेजा गया, जो दिनांक 18.12.2012 को तामील होना ए.डी.की पावति रेकार्ड से सिद्ध होता है।

कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा एकतरफा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.07.2012 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने उक्त अपील अधिनियम की धारा 82 के अनुसरण में नहीं होने से उसे डिफेक्टिव मानकर अपील आवेदन को निरस्त कर आदेश दिनांक 06.05.2014 पारित किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि भारतीय डाक तार विभाग द्वारा 356 दिवस की देरी से आदेश एवं मांग पत्र तामील कराया गया है, जिसके विलम्ब के लिए डिले कन्डोन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसको विद्वान अपीलीय अधिकारी ने निरस्त कर दिया है। उनका कथन है कि बिना किसी साक्ष्य के 356 के विलम्ब का अस्वीकार किया गया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विवादित कर के 5 प्रतिशत के बराबर राशि जमा नहीं होने के कारण अपील को डिफेक्टिव मानते हुए अस्वीकार किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि बिना सुनवाई के आदेश पारित कर दण्डित किया जाना नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अधिनियम की धारा 82 के अनुसरण में नहीं होने से (डिफेक्टिव) अपील मानकर निरस्त किया जाकर अपील का निष्पादन किया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि अपील ग्राउण्ड्स में इस सम्बन्ध में निवेदन किया है, जिसको स्वीकार नहीं किया जाना अनुचित एवं अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड, अपील ग्राउण्ड्स एवं विधिक स्थिति का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार अपीलार्थी फर्म के वर्ष 2009-10 की अवधि का एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2012 को पारित किया जाकर मांग कायम की गई। एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2012 के विरुद्ध उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, जोधपुर के समक्ष दिनांक 08.05.2012 को अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही आदेश पारित

किया है, जिसको रिओपन करने का निवेदन किया गया। उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, जोधपुर ने सुनवाई के पश्चात दिनांक 06.06.2012 आदेश पारित कर वर्ष 2009-10 की अवधि का पुनः कर निर्धारण 60 दिवस की अवधि में सम्पादित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी को वांछित वेट-10/10ए एवं देय कर की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। उक्त रिओपन आदेशों के एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस पालना में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना/प्रपत्र वेट 10/10ए प्रस्तुत नहीं किए गए और ना ही देय कर घोषित कर राजकोष में जमा करवाया गया। अतः पुनः एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.07.2012 पारित करते हुए कर रू. 23,35,572/- व शास्ति रू. 2,18,442/- तथा ब्याज रू. 10,69,420/-कुल रू. 36,23,434/-की मांग सृजित की गई, जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील को अधिनियम की धारा 82 के अनुसरण में नहीं होना मानकर डिफेक्टिव अपील मानकर निरस्त किया जाकर निष्पादित किया गया है।

हस्तगत अपील में निर्णय पारित करने से पूर्व अधिनियम की धारा 82 के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना समीचीन है, जो इस प्रकार है :-

"82. Appeal to the appellate authority. - (1) Subject to the provisions of section 86, an appeal against any order of an Assistant Commissioner, a Commercial Taxes Officer, an Assistant Commercial Taxes Officer or Junior Commercial Taxes Officer or Incharge of a check-post or barrier shall lie to the appellate authority.

(2) The appeal shall be presented within sixty days of the date on which the order sought to be appealed against is communicated; but the appellate authority may admit an appeal even after the said period of sixty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (4) of section 38, no appeal under this section shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of tax and other amounts admitted by the appellant to be due from him or of such instalment thereof as might have become payable and in case of an appeal from an *ex-parte* assessment order, five percent of, and in other cases ten percent of the "*disputed tax amount*".

(4) Notwithstanding that an appeal has been preferred to the appellate authority, the tax or any other sum shall, subject to the provisions contained in sub-sections (4) and (5) of section 38, be paid in accordance with the order against which appeal has been preferred.

(5) The appeal shall be in the prescribed form and shall be verified in the prescribed manner.

(6) The following shall have the right to be heard at the hearing of the appeal,

(a) the appellant, either in person or by the authorised representative;

(b) the authority or officer against whose order the appeal has been preferred either in person or by a representative.

(7) The appellate authority may, before disposing of any appeal make such further enquiry as it thinks fit, or may direct the assessing authority or the officer against whose order appeal has been preferred to make further enquiry and report the result of the same to the appellate authority and in disposing of the appeal the said authority may,-

(a) in the case of an order of assessment, interest or penalty,-

(i) confirm, enhance, reduce or annul the assessment, interest or penalty; or

(ii) set aside the order of assessment, interest or penalty and direct the assessing authority to pass fresh order after such further enquiry as may be directed;
and

(b) in the case of any other order, confirm, cancel, vary or remand such order.


(8) The appellate authority shall send a copy of the order passed by it to the appellant, the assessing authority or such authority against whose order the appeal has been preferred, the Deputy Commissioner (Administration) concerned and the Commissioner.


अधिनियम की धारा 82 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार Assistant Commissioner, a Commercial Taxes Officer, an Assistant Commercial Taxes Officer or Junior Commercial Taxes Officer or Incharge of a check-post or barrier shall lie to the appellate authority. उक्त अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील 60 दिन में प्रस्तुत की जा सकती है और एकतरफा आदेश में विवादित कर राशि का 5 प्रतिशत एवं अन्य आदेशों में 10 प्रतिशत राशि अपील प्रस्तुत करने से पूर्व जमा कराया जाना आज्ञापक है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना कार्यवाही सम्पादित की गई है। प्रकरण के समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय हित में निष्कर्ष दिया जाता है कि यदि व्यवहारी विवादित कर का 5 प्रतिशत राशि निर्णय प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जमा करा देता है, तो अपीलीय अधिकारी, अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण के गुणावगण पर विचार कर पुनः निर्णय पारित करें। यदि अपीलार्थी व्यवहारी विवादित कर राशि का 5 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराता है, तो अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा। उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(एम.एल.नेहरा)
सदस्य


(सुनीता शर्मा)
सदस्य